यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार के माह 07/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.09.2017 से 03.10.2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सहं एवं श्री दीपेश कुमार स.ले.प.अ. महोम्मद सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12/07/2016 से 22/07/2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापीरक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 06/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016/ से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- ग्रामीण निर्माण वभाग का कार्य यह की व भन्न वभागो के निर्माण कार्य डपॉजिट कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अ धकार क्षेत्र, पूर्ण हरिद्वार।

(इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को सम र्पत रा श/अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (सम र्पत)	गैर स्थापना (अवशेष
2014-15	00.00	1333.70	167.89	166.69	1606.87	1907.03	1.2	1033.54
2015-16	00.00	1033.54	195.18	195.18	2410.77	2114.57	00	1329.74
2016-17	00.00	1329.74	246.26	246.26	2214.10	2229.63	00	1314.21

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना को सम्मि लत करते हुये इकाई **A** श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचाः- (संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

1. स चव, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड शासन

तकनीकी संवर्ग मेः-

2. मुख्य अ भयंता स्तर-1 (वभागाध्यक्ष) 3. मुख्य अ भयंता, स्तर-2 4. अधीक्षण अ भयंता 5. अ धशासी अ भयंता 6. सहायक अ भयंता 7. कनिष्क अ भयंता.

गैर तकनीकी संवर्ग मेः-

1. वत्त नियंत्रक 2. खंडीय लेखाकार 3. सहायक लेखा धकारी 4. प्रशासनिक अ धकारी 5. लेखाकार 6. प्रधान सहायक 7. वरिष्ठ सहायक 8. कनिष्क सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 05/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 14/06/017 से 16/07/17 का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह..... स्टॉक शून्य है..... तथा 09/2013 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 06/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनरा श रु में)।

भाग प्रथम 11648300

भाग द् वतीय 9364299

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2017 के अन्त में (धनरा श रु में)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 331723

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेष 1569.06 लाख

(ङ) भण्डार शून्य

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-01- अनुबं धत मदों के सापेक्ष ` 26.27 लाख की मदों को निष्पादित नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण मोटर मार्गों के अधोमानक निर्माण पर ` 161.65 लाख की धनरा श का व्यय।

शासनादेश संख्या-23/02(04)/15/2015/दिनांक-19.02.2015 तथा 26/आरआर एवं ड्रेनेज/XII-2/2016/02(04)/2015 दिनांक-10.03.16 के द्वारा नाबार्ड से वत्त पो षत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु छः ग्रामीण मोटर हेतु क्रमशः प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त छः ग्रामीण मोटर मार्गों के सापेक्ष संप्रेक्षा ति थ (सतंबर 2017) तक तीन ग्रामीण मोटर मार्ग ही पूर्ण कए जा सके थे।

अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड हरिद्वार के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा पूर्ण किए गये तीन मोटर मार्गों की अनुबन्धित धनराशि रु0 199.73 लाख के सापेक्ष अनुलग्नक–अ में उल्लिखित रु0 26.27 लाख की मदों का निष्पादन न कर कार्य पूर्ण किया गया, परिणामस्वरुप उक्त तीनों ग्रामीण मोटर मार्गों को आवश्यक मदों का बिना निष्पादन कराये ही उक्त कार्य ` 161.65 लाख की लागत पर अधोमानक रूप से पूर्ण कए गए। पूर्ण मोटर मार्गो का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

(` लाख में)

क्रमांक	स्वीकृत ग्रामीण मोटर मार्ग का नाम	स्वीकृत धनरा श	अवमुक्त धनरा श	अनुबंध संख्या	अनुबं धत धनरा श	निर्माण कार्य पर कुल भुगतान की गई धनरा श	निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति
1	ग्राम केवलपुरी से राइसी भोगपुर मेनरोड से महाड़ी के सामने सड़क निर्माण	104.53	56.11	10/एसई/आरड बल्यूडी/15-16/ 19.08.15	65.46	53.03	पूर्ण
2	बेगमपुर उर्फ टकाभरी से मानूबास तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	100.80	56.05	08/एसई/आरड बल्यूडी/15-16 19.08.15	71.28	54.24	पूर्ण
3	ग्राम खजूरी से झबरेड़ा रोड मार्गका निर्माण	116.17	56.23	12/एसई/आरड बल्यूडी/15-16 19.08.15	62.99	54.38	पूर्ण
कुल योग		321.50	168.39		199.73	161.65	

उपरोक्त ता लका से स्पष्ट है क तीनों ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण हेतु कुल स्वीकृत धनरा श ` 321.50 लाख के सापेक्ष ` 168.39 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रखण्ड स्तर पर अधीक्षण अ भयंता स्तर के तीन अनुबंध कुल

धनरा श ` 199.73 लाख के गठित कए गए जिसके सापेक्ष उक्त तीनों निर्माण कार्यों पर कुल ` 161.65 लाख की धनरा श व्ययित करते हुए उक्त तीनों निर्माण कार्य पूर्ण कराये गए। जिससे स्पष्ट है क उपरोक्त तीनों निर्माण कार्य स्वीकृत धनरा श ` 321.50 लाख के सापेक्ष ` 199.73 लाख के गठित तीन अनुबंधों के अंतर्गत मात्र 50 *प्रतिशत* धनरा श अर्थात ` 161.65 लाख की लागत पर ही पूर्ण कराये गए।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर क जिन तीन निर्माण कार्यों की स्वीकृत लागत ` 321.50 लाख के सापेक्ष मात्र ` 168.39 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी एवं जिसके सापेक्ष ` 199.73 लाख के गठित तीन अनुबंधों के अंतर्गत स्वीकृत लागत के मात्र 50 *प्रतिशत* धनरा श अर्थात ` 161.65 लाख की लागत पर ही ` 26.27 लाख लागत की अनुबं धत मदों का बिना निष्पादन कराये ही उक्त कार्य वांछित व शष्टियों/मानकों के अनुरूप कैसे पूर्ण कए गए? के संबंध में अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड हरिद्वार द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क ग्रामीण निर्माण वभाग द्वारा उक्त तीन निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनरा श ` 321.50 लाख के सापेक्ष मात्र ` 168.39 लाख की धनरा श ही प्रखण्ड को अवमुक्त की गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप ही उक्त कार्यों हेतु गठित अनुबंधों की धनरा श ` 199.73 लाख में शा मल ` 26.27 लाख लागत की अनुबं धत मदों का बिना निष्पादन कराये ही उक्त कार्यों को पूर्ण कराया गया जब क निष्पादित नहीं कराई गयी ` 26.27 लाख की मदें आवश्यक होने के कारण ही अनुबंध में शा मल की गईं थी परंतु धनाभाव के कारण उनका निष्पादन नहीं कराया जा सका।

इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है क उक्त तीनों ग्रामीण मोटर मार्गों को आवश्यक मदों का बिना निष्पादन कराये ही उक्त कार्य ` 161.65 लाख की लागत पर अधोमानक रूप से पूर्ण कए गए।

अतः अनुबं धत मदों के सापेक्ष ` 26.27 लाख की को निष्पादित नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण मोटर मार्गों के अधोमानक निर्माण पर ` 161.65 लाख की धनरा श के व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक 'अ'

तीन निर्माण कार्यों हेतु गठित अनुबंधों के अंतर्गत निष्पादित नहीं कराई गयी मदों का ववरण

Name of sanctioned road	Agreement No.	Items	Quantities	Cost	Amount
Construction of motor road from Kewalpuri to Raisi Bhogpur main road to Mahadi	10/SE/RWD /15-16/19.08.15	Supplying, fitting and placing HYSD bar inforcement in substructure	3.85 tonne	51000.00	196350.00
		Providing weepholes in brick/stone masonry work, plain reinforced concrete abutment wing wall	56.00 Cum	2000.00	112000.00
		Plain cement concrete M 10 (1:3:6 nominal mix) in leveling course below open foundation of head walls	11.40 Cum	4000.00	45600.00
		Plain cement concrete M 10 (1:2:4)	2.85 Cum	4600.00	13110.00
		Construction of KC type drains	1260.00 Rm	250.00	315000.00
Total					**682060.00**
Construction of motor road from Begampur urf Takabhari to Maanubaas	08/SE/RWD /15-16/19.08.15	Providing weepholes in brick/stone masonry work, plain reinforced concrete abutment wing wall	36.00 Nos.	155.50	5598.00
		Construction of KC type drains	1650.00 Rm	703.50	1160775.00
Total					**1166373.00**
Construction of motor road from village Khajuri to Jhabreda road	12/ SE / RWD/15-16/19.08.15	Foundation Plain cement concrete 1:3:6 nominal mix in foundation with crushed stone aggregate 40 mm nominal size	17.52 Cum	3599.00	63054.00
		Centering shutteringincluding strutting propping etc.	52.36 Sqm	89.00	4660.00
		Providing and laying reinforced concrete insuperstructure	32.73 Cum	4100.00	134193.00
		Supplying, fitting and placing HYSD bar inforcement in substructure	3.85 tonne	51000.00	196350.00
		Back filling behind abutement,wing wall and return wall	13.20 Cum	1199.00	15826.80
		Providing weepholes in brick/stone masonry work, plain reinforced concrete abutment wing wall	64.00 Nos.	400.00	25400.00
		Brick masonry work in cement mortar in foundation of head walls	23.00 Cum	4699.00	108077.00
		Construction of KC type drains	1540.00 Rm	150.00	231000.00
Total					**778560.80**
Grand Total					**26,26,993.80**

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-01- वत्तीय प्रावधानों में प्रावधानित वत्तीय सीमाओं से अ धक धनरा श के कार्यादेशों (**Work Orders)** के माध्यम से ` 182.21 लाख की धनरा श का अनिय मत व्यय।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 352 के अंतर्गत परि शष्ट (अपें डक्स) VII के नियम 1 एवं 2 (a-e) के प्रावधानों के अनुसार सहायक अ भयंता/उपखंड अ धकारी ` 10,000/- तक की लागत के कार्य कार्यादेश (Work Order) के माध्यम से निष्पादित करा सकते हैं।

अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड हरिद्वार के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क प्रखण्ड के अंतर्गत पाँच उपखंडों के सहायक अ भयन्ताओं द्वारा वर्ष 2016-17 की अव ध में वत्तीय प्रावधानों में प्रावधानित वत्तीय सीमाओं से अ धक धनरा श के अनुसार कार्यादेश जारी करते हुए अनिय मत रूप से निर्माण कार्य निष्पादित कराये गए। जिनका ववरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	उपखंड का नाम	जारी कए गए कार्यादेशों की संख्या	जारी कए गए कार्यादेशों की धनरा श (लाख में)	जारी कए गए कार्यादेशों की न्यूनतम से अ धकतम धनरा श (लाख में)
1	उपखंड प्रथम	50	88.66	0.50 से 4.29 तक
2	उपखंड द् वतीय	18	44.93	0.47 से 4.98 तक
3	उपखंड त्रतीय	06	14.15	0.80 से 3.49 तक
4	उपखंड चतुर्थ	07	13.04	0146 से 2.98 तक
5	उपखंड पंचम	11	21.43	0.55 से 3.00 तक
कुल योग		**92**	**182.21**	

उपरोक्त ता लका में दिये गए ववरण से स्पष्ट है क प्रखण्ड स्तर पर पाँच उपखंडों के सहायक अ भयन्ताओं द्वारा वर्ष 2016-17 की अव ध में वत्तीय प्रावधानों में प्रावधानित वत्तीय सीमाओं से अ धक धनरा श के 92 कार्यादेशों के माध्यम से ` 182.21 लाख की धनरा श के निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अनिय मत रूप से कार्यादेश जारी कए गए।

उक्त वसंगति के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर अ धशासी अ भयंता द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क ग्राहक वभागों द्वारा निर्माण कार्यों को शीघ्र ही कराये जाने के संबंध में आग्रह कए जाने के कारण ही उक्त सभी निर्माण कार्य जो सहायक अ भयन्ताओं की वत्तीय सीमा से बाहर थे, कार्यादेश के माध्यम से निष्पादित कराये गए परंतु लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने के पश्चात भ वष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन वत्तीय प्रावधानों के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित कया जाएगा। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क प्रखण्ड स्तर पर निर्माण कार्यों का निष्पादन कसी भी परिस्थिति में वत्तीय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नहीं कराया जा सकता।

अतः वत्तीय सीमाओं से अ धक धनरा श के कार्यादेशों (Work Orders) के माध्यम से ` 182.21 लाख की धनरा श के अनिय मत व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर02- ₹ 50.94 लाख धनरा श राजस्व के रूप में जमा नहीं कया जाना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षों तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत रा श को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं कए जाने पर व्यपगत जमा के रूप में राज्य सरकार को राजस्व के रूप में जमा की जानी चाहिए थी परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया क संलग्न ववरण के अनुसार क्रम संख्या 1 से 133 तक रू 50.94 लाख धनरा श डपॉजिट रजिस्टर में वर्ष 2012 से 2013 तक की अव ध में अदावाकृत रा श के रूप में तीन वर्षों से अ धक समय से लंबित पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगति कए जाने पर कार्यालय ने स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया क ठेकेदारों से पत्राचार करके आदवाकृत रा श का समायजोन हेतु वत्तीय प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः रू 50.94 लाख धनरा श राजस्व के रूप में जमा नहीं करने का प्रकरण उच्च अ धकरियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
11/2008-09	03	0
34/2009-10	0	01
35/2010-11	1,2,	1,2,
35/2011-12	1,	0
63/2014-15	1,2,	01
40/2016-17	0	1,2,3,4,5
योग	**06**	**09**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
40/2016-17	1		यथावत रखा जा सकता है।	
उपरोक्त	2		यथावत रखा जा सकता है।	
उपरोक्त	3		इकाई के उत्तर के संदर्भ में प्रस्तर निस्तारित कया जा सकता है।	
उपरोक्त	4		इकाई के उत्तर के संदर्भ में प्रस्तर निस्तारित कया जा सकता है।	
उपरोक्त	5		यथावत रखा जा सकता है।	
उपरोक्त	6 STAN		इकाई के उत्तर के संदर्भ में प्रस्तर निस्तारित कया जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1	ई. ल लत मोहन	अ धशासी अ भयंता	
2	ई. रामजी लाल	अ धशासी अ भयंता	

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.